प्रेस विज्ञप्ति

25.10.2026

ईडी की मिज़ोरम और मणिपुर में सीमा-पार मादक पदार्थ तस्करी एवं हवाला नेटवर्क पर सख़्त कार्रवाई: 6 गिरफ्तार, 1,424 बैंक खाते फ्रीज, ₹26.01 करोड़ मूल्य की संपत्तियाँ कुर्क/फ्रीज

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आइजोल और इंफाल उप-आंचलिक कार्यालयों ने 23.10.2026 को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) की धारा 17 के अंतर्गत मिज़ोरम के आइजोल, चम्फाई और लॉन्गतलाई तथा मणिपुर के चुराचांदपुर में कई परिसरों पर समन्वित तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई धन शोधन के तीन मामलों में की गई। ये मामले म्यांमार से हेरोइन, ब्राउन शुगर और मेथैम्फेटामाइन की गोलियों की सीमा-पार तस्करी तथा मादक पदार्थों की बिक्री से मिली आय के हवाला के माध्यम से निपटान से जुड़े हैं। अभियान स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) और मिज़ोरम पुलिस के समन्वय से चलाया गया। इन दोनों ने उसी दिन तस्करी नेटवर्क के विरुद्ध समानांतर कार्रवाई भी की।

कार्रवाई के दौरान ईडी ने मिज़ोरम और मणिपुर में मादक पदार्थों के व्यापार तथा उनकी आय का हवाला के माध्यम से निपटान करने वाले (नार्को-हवाला) संचालकों से जुड़े **1,424 बैंक खाते फ्रीज किए**। साथ ही मिज़ोरम स्थित नार्को-हवाला संचालकों की **₹17.82 करोड़ मूल्य की संपत्तियाँ अनंतिम रूप से कुर्क कीं**। ईडी इससे पहले फ्रीज किए गए बैंक खातों के रूप में ₹8.19 करोड़ मूल्य की परिसंपत्तियाँ सुरक्षित कर चुका था। इस प्रकार सुरक्षित की गई कुल परिसंपत्तियाँ ₹26 करोड़ से अधिक हो गई हैं। तलाशी के दौरान पीएमएलए की धारा 19 के अंतर्गत **छह अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया**। इनमें तीन मिज़ोरम में और तीन मणिपुर में गिरफ्तार किए गए। मादक पदार्थों के मामलों में इस समय न्यायिक हिरासत में बंद चार अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तारी के लिए पेश करने के आवेदनों पर मिज़ोरम के विशेष न्यायालय में कार्यवाही चल रही है।

ईडी ने जाँच तीन मामलों में स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (एनडीपीएस अधिनियम) के अंतर्गत दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्टों (एफआईआर) के आधार पर शुरू की। **ईसीआईआर/एजेडएसजेडओ/05/2025 (कृषिव एंटरप्राइज़ मामला, मिज़ोरम)** का संबंध चम्फाई की ज़ोखावथर पुलिस द्वारा 14.03.2025 को 4.722 किलोग्राम हेरोइन (साबुन के 440 डिब्बों में रखी) की जब्ती से है। यह हेरोइन म्यांमार स्थित एक आपूर्तिकर्ता के लिए ज़ोखावथर से आइजोल ले जाई जा रही थी। **ईसीआईआर/एजेडएसजेडओ/01/2026 (जबरुल हक़ मामला, मिज़ोरम)** का संबंध एनसीबी, अगरतला द्वारा 21.08.2025 को मिज़ोरम में सेलिंग के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग-06ए पर एक काफ़िले से 49.101 किलोग्राम मेथैम्फेटामाइन की गोलियों और 40 ग्राम हेरोइन की जब्ती से है। यह खेप म्यांमार के चिंतुआंग से मँगाई गई थी और दमछेरा-कन्हमुन सीमा पर पहुँचाई जानी थी। **ईसीआईआर/आईएमएसजेडओ/12/2026 (ज़ेनगैहिनयांग उर्फ़ तानियांग मामला, मणिपुर)** का संबंध मणिपुर की चुराचांदपुर पुलिस द्वारा 02.07.2026 को 2.413 किलोग्राम ब्राउन शुगर और ₹31.43 लाख नकद की जब्ती से है। यह नकदी म्यांमार से आपूर्ति किए गए मादक पदार्थों की बिक्री की आय थी। इसे आपूर्तिकर्ताओं को भेजने के लिए चुराचांदपुर में एकत्र किया गया था।

तीनों मामलों की जाँच में एक ही परस्पर जुड़ा नार्को-हवाला तंत्र सामने आया है। चम्फाई, आइजोल और लॉन्गतलाई के बैंक खातों का एक ही समूह मणिपुर, मिज़ोरम, असम और त्रिपुरा में मादक पदार्थों की बिक्री से बना धन प्राप्त करता है। वही खाते उस धन का म्यांमार के आपूर्तिकर्ताओं के साथ निपटान करते

हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र की म्यांमार के साथ 1,643 किलोमीटर लंबी खुली सीमा है। यह क्षेत्र स्वर्ण त्रिभुज में बनने वाले मादक पदार्थों के लिए मुख्य स्थल मार्ग बनकर उभरा है। मिज़ोरम और मणिपुर में पहुँचने वाली हेरोइन और मेथैम्फेटामाइन की गोलियाँ स्थानीय स्तर पर खपाई जाती हैं और असम के रास्ते भारत के शेष भागों तथा बांग्लादेश तक भेजी जाती हैं। इस पूरी शृंखला में बना मादक पदार्थों का धन लौटकर मिज़ोरम के सीमावर्ती नगरों में आता है, जहाँ म्यांमार स्थित आपूर्तिकर्ताओं के साथ उसका हिसाब निपटाया जाता है।

यह तस्करी गलियारा मिज़ोरम के चम्फाई-ज़ोखावथर क्षेत्र से होकर दोतरफ़ा मार्ग की तरह काम करता है। एक दिशा में पूर्ववर्ती रसायन और मिलावट में प्रयुक्त रसायन भारत से म्यांमार भेजे जाते हैं। मेसर्स कृषिव एंटरप्राइजेज़ ने मार्च से नवंबर 2024 के बीच 15 खेपों में लगभग 32 टन निर्जल कैफ़ीन और 10 टन निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड भेजा। यह माल नियमित ई-वे बिलों और जीएसटी चालानों के साथ आइजोल तथा मिज़ोरम की सीमावर्ती पट्टी के छोटे खुदरा औषधि विक्रेताओं और एक जनरल स्टोर को भेजा गया। इन प्रापकों के पास अपनी कोई विनिर्माण या प्रसंस्करण सुविधा नहीं है। इन मुखौटा प्रापकों के माध्यम से रसायन सीमा पार म्यांमार की गोलियाँ बनाने वाली इकाइयों तक पहुँचाए जाते हैं। वहाँ निर्जल कैफ़ीन से मेथैम्फेटामाइन की मात्रा बढ़ाई जाती है और उसमें मिलावट कर "याबा" गोलियाँ बनाई जाती हैं। दूसरी दिशा में म्यांमार में बनी हेरोइन, ब्राउन शुगर और मेथैम्फेटामाइन की तैयार गोलियाँ ज़ोखावथर में तियाउ नदी पार करके लाई जाती हैं। यह म्यांमार के खौमावी के सामने स्थित सीमा-पार स्थल है। माल को चम्फाई में एकत्र किया जाता है। वहाँ से वह चम्फाई-आइजोल सड़क और राष्ट्रीय राजमार्ग-06ए के रास्ते आइजोल, वैरेंगते तथा असम और त्रिपुरा की सीमाओं तक पहुँचाया जाता है। रुनथानछुंगी उर्फ़ नू सुंगी और चिंतुआंग जैसे म्यांमार स्थित संगठनकर्ता ज़ोखावथर और चम्फाई में स्थानीय वाहकों को काम पर रखते हैं। वे खेपों को साबुन के डिब्बों, टैक्सियों, मोटरसाइकिलों और अनुरक्षक वाहनों वाले ट्रक काफ़िलों में छिपाकर भेजते हैं। उन्हें भुगतान चम्फाई के उन्हीं हवाला खातों से किया जाता है, जिनमें पूरे पूर्वोत्तर से मादक पदार्थों का धन आता है। इस प्रकार रसायनों की आपूर्ति, मादक पदार्थों का प्रवाह और धन का मार्ग, तीनों चम्फाई-ज़ोखावथर गलियारे पर आकर मिलते हैं।

धन का यह मार्ग चम्फाई से बहुत दूर शुरू होता है। गलियारे से निकले मादक पदार्थ मणिपुर, असम, त्रिपुरा और भारत के अन्य भागों में नकद बेचे जाते हैं। यह नकदी हवाला के माध्यम से भेजी जाती है। बिक्री की आय को एकत्र कर म्यांमार के आपूर्तिकर्ताओं को वापस भेजना होता है। मणिपुर के चुराचांदपुर क्षेत्र में यह नकदी नेंगज़ातुआन वाल्टे उर्फ़ तुआनपी जैसे सिंडिकेट से जुड़े कारिंदे एकत्र करते थे। वे इसे ज़ेनगैह्निंयांग उर्फ़ तानियांग जैसे नकदी संभालने वालों को सौंपते थे। उनके हाथों से यह नकदी मिनी-एटीएम/ग्राहक सेवा केंद्र के काउंटरों के माध्यम से बैंकिंग प्रणाली में पहुँचती थी। तानियांग लाभार्थी खातों की सूची के साथ प्रतिदिन ₹1 करोड़ तक की राशि मेसर्स गो अल्फा ट्रिप पर जमा करती थी। यह चुराचांदपुर में एच. गौज़ालाल द्वारा संचालित मिनी-एटीएम एवं धन-अंतरण काउंटर है। काउंटर ने उसे "नूनियांग" कूट नाम से दर्ज किया। वर्ष 2024 से जून 2026 के बीच काउंटर ने ज़ोखावथर, चम्फाई, लॉन्गतलाई और आइजोल के व्यापारियों, औषधि विक्रेताओं तथा व्यक्तियों को कुल ₹175.03 करोड़ के 2,947 अंतरण किए। धन का कुछ हिस्सा चुराचांदपुर के अन्य काउंटरों और मुखौटा संस्थाओं के माध्यम से भेजा गया, ताकि लेन-देन की कड़ी छिपी रहे। मिज़ोरम के लाभार्थी औषधि विक्रेताओं, जनरल स्टोरों और व्यक्तियों ने अपने बैंक खाते प्रति लाख ₹500 पर किराये पर दिए थे। उन्होंने कुछ ही दिनों में आरटीजीएस/एनईएफटी/आईएमपीएस से धन आगे अंतरित कर दिया। इन खातों से नकद निकासी नगण्य थी और इनके पीछे कोई वास्तविक व्यापार नहीं था। विश्लेषण किए गए सात खातों में प्राप्त ₹11.98 करोड़ में से केवल ₹17 लाख नकद निकाले गए। बैंक-कर्मचारी पति द्वारा संचालित चम्फाई की एक गृहिणी के खाते में अकेले ₹15.48 करोड़ आए, जबकि परिवार की मासिक आय लगभग ₹27,000 है।

परत-दर-परत घुमाया गया धन अंततः चम्फाई में बिना लाइसेंस के संचालित रुपया-क्यात मुद्रा विनिमयकर्ताओं तक पहुँचता है। इनमें मुख्य रूप से लालरामपारी और उनके पति लाललियानसंगा (मेसर्स जेटीएस स्टोर के स्वामी) हैं। इनके खातों में लगभग ₹268.80 करोड़ जमा हुए, जिनमें असम, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और दिल्ली से आए ₹125 करोड़ नकद भी शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि आइजोल और चम्फाई के हवाला खातों में पहुँचा मादक पदार्थों का धन केवल पूर्वोत्तर से नहीं आया था। इन खातों में नई दिल्ली, कोलकाता और मुंबई से भी बड़ी राशि आई। इनमें हवाला संचालक लालरिनकिमा को कोलकाता स्थित मुखौटा संस्थाओं से मिले लगभग ₹2.14 करोड़ और तानियांग को हावड़ा स्थित एक मुखौटा कंपनी से मिले ₹10 लाख शामिल हैं। इसके अलावा दिल्ली, कोलकाता, गुवाहाटी और सिलचर में चम्फाई के संचालकों के खातों में नकदी जमा की गई। इससे संकेत मिलता है कि महानगरों में बिके मादक पदार्थों की आय कई परतों वाली कॉर्पोरेट संस्थाओं और हवाला माध्यमों से सीमावर्ती क्षेत्र में लौटाई जा रही थी। म्यांमार स्थित व्यक्तियों के निर्देश पर इन संचालकों ने यह धन देश भर के खातों में भेजा। उन्होंने सीमा पार आपूर्तिकर्ताओं की बकाया राशि क्यात में चुकाई और इसके लिए प्रति लाख ₹250 से ₹500 तक कमीशन लिया। अपराध की आय को अचल संपत्ति और कारोबारों में लगाया गया। इनमें चम्फाई के ज़ायन वेंग में स्थित पाँच मंज़िला वाणिज्यिक भवन होटल जेटीएस भी शामिल है। यह भवन हवाला खातों के माध्यम से भेजे गए धन से बनाया गया था।

तलाशी में चम्फाई, आइजोल, लॉन्गतलाई और चुराचांदपुर में हवाला संचालकों, म्यूल खाताधारकों, मुखौटा कारोबारों और मिनी-एटीएम काउंटर के परिसर तथा प्रमुख खाते रखने वाली बैंक शाखाएँ शामिल थीं। प्राप्त नकदी और किए गए अंतरणों के आपत्तिजनक बही-खाते, चेक बुकें, डेबिट कार्ड, मोबाइल फ़ोन और खातों के संचालन में प्रयुक्त डिजिटल उपकरण जब्त किए गए। खाताधारकों ने स्वीकार किया कि उनके खाते संदिग्ध नार्को-हवाला संचालकों को प्रति लाख ₹500 पर किराये पर दिए गए थे। चुराचांदपुर स्थित गो अल्फा ट्रिप के बही-खाते आइजोल के दो मामलों में जाँच के अधीन मिज़ोरम के खातों में जमा राशियों से मेल खाते पाए गए। ये खाते हैं: थांगखुआला और उनकी पत्नी (₹2.22 करोड़), ज़ुआली ड्रग्स स्टोर (₹2.67 करोड़), फुंग थान किमी (₹2.05 करोड़), लालबियाखलुना लालदुहावमा (₹1.82 करोड़) और लालरामपारी। इससे स्थापित हुआ कि मणिपुर में एकत्र मादक पदार्थों की नकदी का निपटान चम्फाई के उन्हीं हवाला खातों से हो रहा था, जो मिज़ोरम के हेरोइन और मेथैम्फेटामाइन नेटवर्कों की सेवा करते हैं।

गिरफ्तारियाँ: तलाशी के दौरान पीएमएलए की धारा 19 के अंतर्गत छह अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया: (1) कश्यप जी. ठक्कर, आइजोल, ईसीआईआर/एजेडएसजेडओ/05/2025 में; (2) थांगखुआला, चम्फाई, मिज़ोरम और (3) टी. चातुआन वनलालगाखा, आइजोल, मिज़ोरम, ईसीआईआर/एजेडएसजेडओ/01/2026 में; तथा (4) ज़ेनगैह्निायांग उर्फ़ तानियांग, (5) नेंगज़ातुआन वाल्टे उर्फ़ तुआनपी और (6) एच. गौज़ालाल, तीनों चुराचांदपुर, मणिपुर के, ईसीआईआर/आईएमएसजेडओ/12/2026 में।

तानियांग और तुआनपी एनडीपीएस मामलों में पहले से न्यायिक हिरासत में थे। उन्हें विशेष न्यायाधीश, स्वापक ओषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस), चुराचांदपुर की अनुमति से औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार व्यक्तियों को क्षेत्राधिकार वाले विशेष न्यायालयों (पीएमएलए) में पेश किया जा रहा है। चार अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तारी के लिए पेश करने के आवेदनों पर मिज़ोरम के विशेष न्यायालय में कार्यवाही चल रही है।

फ्रीज और कुर्की: तलाशी के दौरान पीएमएलए की धारा 17(1क) के अंतर्गत मिज़ोरम और मणिपुर में नार्को-व्यापार तथा नार्को-हवाला संचालकों और उनके म्यूल एवं लाभार्थी खातों के 1,424 बैंक खाते फ्रीज किए गए। ईसीआईआर/एजेडएसजेडओ/05/2025 में 23.10.2026 के अनंतिम कुर्की आदेश द्वारा ईडी ने होटल जेटीएस को कुर्क किया। यह चम्फाई के ज़ायन वेंग में 571.11 वर्ग मीटर भूमि पर बना पाँच मंज़िला वाणिज्यिक भवन है। यह हवाला संचालक लालरामपारी के पति लाललियानसंगा के नाम पर है और इसका मूल्य ₹17.82 करोड़ है। नार्को-हवाला गतिविधियों में शामिल बैंक खातों के रूप में पहले सुरक्षित किए गए ₹8.19 करोड़ को मिलाकर इस मामले में सुरक्षित कुल परिसंपत्तियाँ अब ₹26 करोड़ से अधिक हैं।

जाँच जारी है। इसमें चुराचांदपुर के मिनी-एटीएम/ग्राहक सेवा केंद्र समूह के अन्य ग्राहकों, लाभार्थी खाता संचालकों, म्यांमार स्थित प्राप्तकर्ताओं और रसायनों के अंतिम उपयोगकर्ताओं की पहचान की जाएगी। बैंक अधिकारियों और ग्राहक सेवा केंद्र संचालकों की भूमिका की जाँच की जाएगी तथा अपराध की आय का और पता लगाकर उसे कुर्क किया जाएगा।

प्रवर्तन निदेशालय मादक पदार्थों की तस्करी को पोषित करने वाले वित्तीय नेटवर्कों को ध्वस्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। निदेशालय "नशा मुक्त भारत" अर्थात् नशे से मुक्त भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए समर्पित है।
